संख्या - 006/पी.आर.सी/1/27483
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 01.12.2008

परिपत्र संख्या 32/12/08

विषय: सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजना - संगठनों की सिफारिशों के साथ संलग्न की जाने वाली सूचना ।

आयोग की सलाह प्राप्त करने के लिए आयोग में भेजे जा रहे मामलों के सही मूल्यांकन तथा शीघ्र जांच को सुनिश्चित करने के क्रम में, आयोग ऐसे मामलों से संबंधित पूर्ण विवरण/रिकाड्र्स भेजने की आवश्यकता पर बल देता रहा है । तथापि, यह नोट किया गया है कि उपर्युक्त विषय पर आयोग के दिनांक 13.03.2006 के परिपत्र सं-14/03/06 के बावजूद, उन मामलों में आयोग को सूचना भेजने के तरीके के संबंध में कोई समरूपता नहीं है, जहां आयोग की सलाह मांगी जाती है । आयोग ने, प्रक्रिया को आगे ओर सरल बनाने तथा अपूर्ण जानकारी के कारण होने वाली देरी को टालने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि, अन्य रिकाड्र्स/दस्तावेजों के साथ, निम्न सारणीबद्ध विवरण संगठनों की सिफारिशों के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए: -

क्रमांक संख्या	संदिग्ध अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आरोपों का सार	प्रत्येक आरोप पर अन्वेषण/जांच का निष्कर्ष	संदिग्ध अधिकारी का बचाव ब्यान	अनु.प्रा. की टिप्पणियां/ सिफारिशें	मु.स.अ. की टिप्पणियां/ सिफारिशें

2. सारणीबद्ध विवरण में सूचना प्रथम/द्वितीय दोनों चरण की सलाह के मामलों में संगठनों की सिफारिशों के साथ संलग्न होनी चाहिए । सख्ती से अनुपालन के लिए इसे नोट किया जाए ।

-ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी